मुकुल गोयल

आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 24 /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः जुलाई 26 ,2021

विषयः- क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-19839/2021 साहिल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.05.2021 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने संबंधी दिशा-निर्देश पार्श्वांकित शासनादेशों एवं डी0जी0 परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है, किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-19839/2021 साहिल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.05.2021 में जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions न उपलब्ध कराये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

शासनादेश सं0-206/छः-पु0-9-19-31(2)/2019 दि0- 05.02.2019
शासनादेशसं0-25पी/6-पु0-3-2010-2(16)पी/09 दि0- 07.01.2010
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017
डीजी परिपत्र सं0 -34/2016 दि0-10.06.2016
डीजी परिपत्र सं0 -30/2015 दि0-28.04.2015
डीजी परिपत्र सं0 -24/2015 दि0-15.04.2015
डीजी परिपत्र सं0 -71/2014 दि0-24.11.2014
डीजी परिपत्र सं0 -65/2014 दि0-17.10.2014
डीजी परिपत्र सं0 -71/2013 दि0-13.12.2013

"With a view to streamlining the procedure for providing timely instructions to the GA/AGA certain directions were issued by this Court in Ajeet Chaudhary (supra). The aforesaid case was related to offences under the SC/ST Act. However, an analogous procedure can also be created for other criminal cases as well. Failure of the police authorities to provide timely instructions to the GA/ AGA in bail applications causes delay in the hearing of the bail applications, and often leads to unjustified incarceration of an accused in jail. The concerns expressed in Ajeet Choudary (supra) are applicable to all bail applications. The timelines in the procedure to provide instructions may vary as per the provisions of law. But the timeline has to be defined to ensure that hearing of the bail applications is not delayed indefinitely to the detriment of the accused/ bail applicant."

जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions न उपलब्ध कराये जाने के कारण शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जमानत का प्रभावी विरोध नहीं हो पाता, जिसका लाभ अन्ततः अभियुक्त पक्ष को ही मिलता है। Instructions समय से उपलब्ध न होने के कारण मा0 न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है।

जनपद स्तर पर प्राप्त नोटिसों पर प्रस्तरवार टिप्पणी जनपद के नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक) के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश डीजी परिपत्र संख्याः 34 /2016 दिनांकित 10.06.2016 द्वारा दिये गये हैं, अतः मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जमानत प्रार्थना पत्रों पर समय से Instructions उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है और इन निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश के सम्मुख अंकित अधिकारी/नोडल अधिकारी को दायित्व सौंपा जाता है-

1. प्रत्येक कार्य दिवस को समय 12.00 बजे अपरान्ह तक शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में प्राप्त होने वाली जमानत नोटिसों को उसी दिन संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा और संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय से उसी दिन सभी जमानत नोटिसों को ई-मेल/वाटसएप/अन्य किसी माध्यम से अथवा जनपद से आये पैरोकारों के माध्यम से सम्बन्धित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः संयुक्त निदेशक अभियोजन)

2. संबंधित जनपद में मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली जमानत नोटिसों को तत्काल संबंधित थाने को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित थाना प्रभारी / विवेचक पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार कर जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन से परीक्षित कराकर मय केसडायरी की छायाप्रति व अन्य अभिलेखों के नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जनपदीय नोडल अधिकारी विवेचक द्वारा तैयार की गयी प्रस्तरवार आख्या से संतुष्ट होने पर उसे तत्काल संबंधित मा0 उच्च न्यायालय के संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः नोडल अधिकारी)

3. जनपद में प्राप्त होने वाली नोटिसों पर Instructions तैयार करने और उन्हें मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित करने की कार्यवाही पूर्ण तत्परता के साथ की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु नियत तिथि के एक दिन पूर्व या विलम्बतम 05 दिवस के अन्दर कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद / लखनऊ खण्डपीठ को यथास्थिति उपलब्ध करा दिया जायेगा।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः नोडल अधिकारी)

4. जनपदों से समय 12.00 अपरान्ह तक प्राप्त होने वाले Instructions को संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय में नियुक्त अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों द्वारा चेक कर उसी दिन शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अपवाद स्वरूप यदि किसी प्रकरण में Instruction सुनवाई हेतु नियत तिथि को ही प्राप्त होता है तो उसे उसी दिन तत्काल शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः संयुक्त निदेशक अभियोजन)

5. जमानत नोटिसों के प्रेषण तथा Instructions को जनपदों से प्राप्त करने में ई-मेल या दूरसंचार के अन्य माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जायेगा। जमानत प्रार्थना पत्र तथा उसके संबंध में जनपद से भेजे जाने वाले Instructions सामान्य रूप से वृहद (voluminous)होते हैं, अतः इनका प्रिन्ट लेने हेतु उच्च क्षमता के प्रिंटर / स्कैनर, पर्याप्त मात्रा में टोनर व पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः नोडल अधिकारी/ संयुक्त निदेशक अभियोजन)

6. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में स्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन के कार्यालय में सम्बन्धित जनपदों के पैरोकार अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन उपस्थित रहेंगे।

   (कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः नोडल अधिकारी)

7. अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में प्रेषित किये जाने वाले Instructions में संबंधित अभियुक्त के गिरफ्तार कर लिये जाने की दशा में गिरफ्तारी मेमो तथा गिरफ्तारी की जी0डी0 अवश्य संलग्न की जाये। यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जाता है तो उसके आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र की छायाप्रति भी Instructions के साथ अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः विवेचक/नोडल अधिकारी)

8. जमानत प्रार्थना पत्रों / अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले Instructions में अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित आपराधिक वादों का विवरण, उनकी अद्यतन स्थिति तथा इन प्रकरणों में उसकी गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस तथ्य को भी विशिष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

(कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्वः विवेचक/नोडल अधिकारी)

शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली जमानत नोटिसों को ई-मेल अथवा पैरोकार के माध्यम से जनपदों को रवाना करने का दायित्व संबंधित संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय का होगा। संबंधित नोडल अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय से अपने जनपद से संबंधित जमानत नोटिसों को मंगवाने तथा ससमय Instructions तैयार कराकर संबंधित संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होंगे। इस कार्य हेतु वे निरंतर संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय के सम्पर्क में बने रहेंगे। प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Instructions सुसंगत अभिलेखों सहित नियत तिथि के एक दिन पूर्व अथवा विलम्बतम 05 दिन में संयुक्त निदेशक अभियोजन मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिये जाये।

प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट में मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली बेल नोटिसों तथा प्रेषित किये जाने वाले Instructions का विवरण तिथिवार संकलित किया जायेगा तथा प्रत्येक माह अपर पुलिस महानिदेशक, जोन तथा सम्बन्धित कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा। इस मुख्यालय के आदेश संख्याः डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-(134)/2021 दिनांकित /07/2021 द्वारा गठित समिति द्वारा संकलित विवरण की मासिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Instructions प्रेषित करने में किसी प्रकार का विलम्ब तो नहीं हो रहा है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिथिलता प्रकट होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(मुकुल गोयल) 24/7/21

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,उ0प्र0 ।